जनभागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय कोतरी जिला–मुंगेली (छ.ग.)

नियमावली

01. संस्था का नाम :– जनभागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय कोतरी जिला–मुंगेली

02. संस्था का कार्यालय :– शासकीय महाविद्यालय कोतरी, ग्राम–कोतरी, पोस्ट–कोतरी, तह.– लोरमी, जिला–मुंगेली (छ.ग.) 495115

03. संस्था का कार्यक्षेत्र :– शासकीय महाविद्यालय कोतरी जिला – मुंगेली (छ.ग.)होगा।

04. संस्था का उद्देश्य :– छात्र/छात्राओं का अध्ययन के साथ–साथ समाज के विभिन्न निकायों/विशिष्ट व्यक्तियों से दान/अनुदान प्राप्तकर छात्र/छात्राओं के लिए सुविधाओं का संकलन/विस्तारीकरण करना।

(1) इन निमयों में यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अभीष्ट न हो तो :–

(क) महाविद्यालय से तात्पर्य है प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय कोतरी शासकीय स्नातक महाविद्यालय।

(ख) समिति से तात्पर्य है, उच्च शिक्षा में जनभागीदारी समिति महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति शासकीय महाविद्यालय कोतरी।

(ग) राज्य शासन से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग।

(घ) विश्वविद्यालय से तात्पर्य है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)।

(ड.) कुलपति से तात्पर्य है, श्री संजय अलंग विश्वविद्यालय का कुलपति।

(च) आयुक्त से तात्पर्य है, आयुक्त उच्चशिक्षा विभाग रायंपुर छत्तीसगढ़।

(छ) प्राचार्य से तात्पर्य है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य, डॉ. डी. एस. मिश्रा, शासकीय महाविद्यालय कोतरी, जिला – मुंगेली (छ.ग.)।

(2) समिति की संरचनानिम्नानुसारहोगी :–

(1) सामान्य परिषद

(2) प्रबंध समिति

(3) वित्तसमिति

समिति द्वारा समस्त नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उक्त संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा।

सामान्य परिषद :–

01. समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा। वह समिति की सर्वोच्च सभा होगी।

02. सामान्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1. संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति।

2. कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि।

3. जहां महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि।

4. जहां महाविद्यालय स्थित है, उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि।

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

वेशम बाई
सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

5. प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं दानदाताओं, कृषकों एवं पोषक शालाओं के एक – एक प्रतिनिधि।

6. अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो–दो प्रतिनिधि।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आए हों।

8. एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो।

9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनित सदस्य

10. महाविद्यालय का प्राचार्य।

टीप :– क्रमांक 5,6,7 एवं 8 के अन्तर्गत नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जायेंगे।

03. समिति की सामान्य परिषद् निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :–

(क) महाविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण।

(ख) पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय – समय पर पुनरीक्षण।

(ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण।

(घ) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियां खोजना।

(ड.) समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें अंगीकृत करना।

(च) समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।

(छ) प्रबंध समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्तियां, अध्येत्तावृत्तियां, अध्ययनवृत्तिया, पदकों, पारितोषकों तथा प्रमाण पत्रों को संस्थित करना।

(ज) आगामी वर्ष के लिए संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।

(झ) यदि आवश्यक हो तो समिति के विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना।

(ञ) महाविद्यालय की किसी चल या अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण स्वीकृति हेतु राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करना।

04. सामान्य परिषद् के कार्य संचालन की प्रक्रिया :–

(क) साधारणः सामान्य परिषद् की बैठक साल में दो बार होगी। आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(ख) सामान्य परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होंगे। बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत डाक से कम से कम 21 दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिए, किन्तु विशेष बैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेंगे।

(ग) परिषद् किसी भी सभा के लिए अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों को गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी परन्तु किसी भी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

देशराज बाई
सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

(घ) परिषद् की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाएंगे। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में करेंगे।

(ड.) अध्यक्ष सहित परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक – एक मत होगा। यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को बराबर मत प्राप्त होते हैं तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(च) प्रत्येक बैठक के कार्यविवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र आयुक्त, उच्च शिक्षा की ओर अग्रेषित की जाएगी।

05. सदस्यों की पंजी :–

(क) समिति की सामान्य परिषद् द्वारा महाविद्यालय में अपने सदस्यों की एक पंजी रखी जाएगी और समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य उसमें अपना हस्ताक्षर करेगा। पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वकित प्रकार से हस्ताक्षर किए बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

(ख) सामान्य परिषद् के किसी भी सदस्यों के पते में कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सूचित करना होगा, यदि वह अपना पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा।

(ग) सामान्य परिषद् के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वष होगा तथा प्रत्येक सदस्य को पुनर्मनोनयन की पात्रता होगी।

<u>प्रबंध समिति :–</u>

01. सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्यकलापों का समुचित प्रबंधन, प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।

प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

(क) सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा।

(ख) संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिले का कलेक्टर एवं अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् उपाध्यक्ष होंगे।

(ग) लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, जो मनोनीत किए जाएंगे, विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य जो प्राध्यापक स्तर से कम न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा मनोनीत एक सदस्य, सामान्य परिषद् का अशासकीय संगठन सदस्य, दानदाताओं एवं स्थानीय औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।

(घ) महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य होंगे।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल में पुनः मनोनयन की पात्रता होगी।

प्रबंध समिति के कार्य :–

02. प्रबंध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे यथा :–

(क) संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारी वृन्द में अनुशासन लागू करना और बनाए रखना, किन्तु संस्था में कार्यरत् शासकीय सेवकों के लिए राज्य शासन के नियम ही लागू रहेंगे।

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

(ख) महाविद्यालय के वित्तीय प्रबंध का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा व्यय के विनियमन हेतु उप नियमों का अनुमोदन करना।

(ग) प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करेगा, जो समिति संस्था की निधियों के संदर्भ में उपयुक्त समझें।

(घ) स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में अकादमिक परिषद् तथा वित समिति एवं अन्य में वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क एवं अन्य भुगतानों की सामान्य परिषद् को अनुशंसा करना।

(ड.) संस्थान की छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाण पत्रों को संस्थित करने की सामान्य परिषद् को अनुशंसा करना।

(च) दान तथा विन्यास को स्वीकार करना।

(छ) सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन में सहायक होना, एवं

(ज) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का संपादन।

प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी। किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

<u>वित्त समिति :–</u>

01. वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :–

1.	प्राचार्य	–	अध्यक्ष
2.	बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी जिसे प्रबंध समिति द्वारा 02 वर्ष के लिए मनोनी किया जाएगा।	–	सदस्य

महाविद्यालय जिस जिले में स्थित है, उसका कोषालय अधिकारी, सदस्य या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो उप कोषालय अधिकारी के पद से नीचे का हो।

02. वित्त समिति के कार्य :–

समिति के सभी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में वित्त समिति सहायक होगी, विशेषतः निम्नलिखित कार्यों में यथा :–

1. प्रबंध समिति के अनुमादनार्थ समिति की निधि के व्यय हेतु उपनियमों का प्रारूप बनाना।
2. वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक बजट) बनाना।
3. यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन) आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व सक्षम अधिकारी/निकाय द्वारा विरचित एवं अनुमोदित है।
4. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियंत्रण रचना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुशंसित करना।
5. लेखा बही खातों और तत्संबंधी खातों का अपेक्षित और समुचित रख – रखाव करना।
6. वार्षिक लेखा – जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं उसे अंकेक्षकों को अग्रेषित करना।
7. अंकेक्षित प्रतिवेदनों पर विचार कर टिप्पणियां अंकित एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित कराना।
8. सामान्य परिषद् के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना, एवं
9. ऐसे सभी प्रस्तावों का परीक्षण व अनुशंसा जो पद रचना, पूंजी एवं अन्य व्यय की स्वीकृति से संबंधित हो।

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

03. निधि :–

निम्नलिखित संस्था की निधि के भाग होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियां।

(ख) समस्त शुल्क एवं समिति द्वारा वसूल की जाने वाली अन्य राशियां

(ग) व्यक्तियों अथवा संस्थानों से अनुदान, उपहार, दान, सहायता राशि एवं वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियां एवं अन्य सभी प्राप्तियां संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 (क्र. 2 सन् 1934) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बैंक बजट तथा प्रबंध समिति द्वारा इस हेतु वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाए गए उपनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए किया जाएगा।

राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियां उनमें से व्यय, लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमों से शासित होंगे। संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा। सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत जैसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियम बनाए जाएंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी तथा समिति नए शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी। ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जाएगी।

सामान्य

(क) समिति द्वारा राज्य शासन के स्वीकृति के बिना कोई नया पद निर्मित नहीं किया जाएगा और न ही समिति अपने कर्य के लिए पृथक से कोई स्टॉफ नियुक्त करेगी।

(ख) समिति अपने कार्य संचालन के लिए महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को ही समिति की निधि से मानदेय स्वीकृत कर सकेगी।

(ग) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टॉफ में से शासन द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी, किन्तु भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिया जाएगा जिनकी उपलब्धियां उत्साहजनक होंगी परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नए पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

(घ) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा उपयुक्त समझता है।

विविध

समिति की ओर से एवं समिति के लिए किए सभी अनुबंध समिति के सचिव द्वारा समिति के नाम पर क्रियान्वित किए जाएंगे। समिति के द्वारा अथवा समिति के विरूद्ध सभी वाद या प्रतिवाद समिति के सचिव के नाम पर होंगे।

प्रमाण – पत्र

हम सभी अधोहस्तारित प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त विवरण शासकीय महाविद्यालय कोतरी जिला – मुंगेली (छ.ग.) समिति जनभागीदारी समिति नियमों का सही एवं सम्पूर्ण विवरण है।

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

संशोधन :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत संविधान में संशोधन करने के अधिकारी पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

विघटन :– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

सम्पत्ति :– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा एवं समय – समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बैठक बुलाने का अधिकारी होगा साथ ही बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

विवाद :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो यह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

छत्तीसगढ़ सोयायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संख्या 44 सन् 1973) के प्रावधानों के अतिरिक्त समिति के कामकाज के पुनरावलोकन हेतु राज्य शासन किसी एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति जांच परख के लिए कर सकता है। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा समिति के मामलों की जांच के आधार पर राज्य शासन ऐसी कार्यवाही कर सकता है या ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो आवश्यक समझे और समिति ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी। महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रमों के संबंध में राज्य शासन आवश्यकतानुसार संबंधित समिति को निर्देश दे सकेगा।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

हस्ताक्षर
सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी

हस्ताक्षर
सदस्य
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय कोतरी